अनुदान संख्या 81 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 81 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	19903,48,00	19903,52,00	18099,14,92	-1804,37,08
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1170,63,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*10,00,00*	*5,54,45*	*-4,45,55*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	100455,66,00	102984,95,00	99048,13,61	-3936,81,39
पूरक	Supplementary	2529,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3363,73,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों का अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	12892.00	11934.00	11107.83	-826.17
पु.	R.	-958.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	506400.00	498868.00	475480.59	-23387.41
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-7533.00			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	23500.00	15151.00	14208.38	-942.62
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-8350.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1432400.00	1333227.00	1300784.12	-32442.88
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-99174.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	15156.00			
पू.	S.	1.00	14109.00	8334.00	-5775.00
पु.	R.	-1048.00			

(I) ₹307.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹200.00 लाख राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन कार्यालय से माँग प्राप्त न होने के कारण मुख्य शीर्ष "3054" "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – राजमार्ग प्रशासन" – के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹307.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3054" - "National Highways - Road Works - Highway Administrations" - due to non-receipt of demand from National Highways Administration Office.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1784.17 लाख की बचत (₹12892.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, न्यायिक मामलों में मध्यस्थों, संविदागत कर्मचारियों की कम तैनाती किए जाने, कम दौरे किए जाने तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संभारिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करने का खर्च वहन किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - saving of ₹1784.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12892.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, engagement of less Arbitrators of court cases, contractual employees, less tours undertaken and expenses towards holding of Logistic Summit being borne by National Highways Authority of India.

(III) मुख्य शीर्ष "3054" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(III) Under Major Head "3054" -savings occurred under the following heads: -

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य" –

(A) "National Highways - Road Works" -

(क) "सड़क स्कंधों द्वारा रख–रखाव" – ₹20611.14 लाख की बचत (₹296675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य महालेखाकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Maintenance by Roads Wing" - saving of ₹20611.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹296675.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Accountant Generals.

(ख) "राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण" – ₹128.17 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकरणों को नागरिक विमानन अपीलीय प्राधिकरण के साथ विलयित करने के कारण हुई।

(b) "National Highways Tribunals" - saving of ₹128.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to merger of Tribunals with Civil Aviation Appellate Authority.

(खा) "जिला और अन्य सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – बिना विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" – ₹1727.74 लाख की बचत (₹2988.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने, चालू कार्यों की धीमी प्रगति तथा कम उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "District and Other Roads - Road Works- Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without Legislature" - saving of ₹1727.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2988.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow progress of ongoing works and receipt of less utilization certificates.

(गा) "सामान्य" –

(C) "General" -

(क) "अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान – केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषण" – ₹7529.36 लाख की बचत (₹8341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों की धीमी प्रगति तथा कुछ की शुरूआत न होने के कारण अनुसंधान एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Research and Development - Highway Research - Funding from Central Road Fund"- saving of ₹7529.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8341.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from research agencies owing to slow progress and non-commencement of some schemes.

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹717.00 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹194254.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय सड़क निधि को कम अंतरण करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Transfer to/from Reserve Fund Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹717.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹194254.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to requirement of less funds towards transfer to Central Road Fund.

(IV) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(IV) Under Major Head "3055" - "Research" - savings occurred under the following heads: -

(का) "सड़क सुरक्षा" – ₹4572.03 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12900.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों जैसे की सड़क सुरक्षा पर मोबाइल रेल

(A) "Road Safety" - saving of ₹4572.03 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12900.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2018) was due to non-

प्रदर्शनी तथा दिल्ली–मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नकदी रहित व्यवहार, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने तथा राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

operation/materialization of certain schemes viz Mobile Rail Exhibition on Road Safety and cashless treatment on Delhi-Mumbai National Highway, non-finalization of tender process and non receipt of proposals from the State Governments.

(खा) "निरीक्षण और रख–रखाव केन्द्र" – ₹1082.34 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिल/प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी और कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र/लेखा–परीक्षित विवरण प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Inspection and Maintenance Centre" - saving of ₹1082.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in submission of bills/proposals and non-receipt of utilization certificates/Audited statement from the implementing agencies.

(गा) "सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण" – ₹3827.04 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Improving and Strengthening of Public Transport System" - saving of ₹3827.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-finalization of the scheme.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान – राज्य सड़कों के लिए अनुदान" – के अंतर्गत ₹798228.88 लाख की बचत (₹1432400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने, राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वर्ष के शुरू में असावधानीवश प्रावधान होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Grants from Central Road Fund - Grants for State Roads" - saving of ₹798228.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1432400.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works, receipt of less proposals from the State Governments and inadvertent provisioning in the beginning of the year.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई :–

(VI) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to U.T. Governments with Legislature - Grants from Central Road Fund" - savings occurred under the following heads: -

(का) "दिल्ली में सड़कें" – ₹8368.00 लाख की बचत (₹8484.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव/उपयोग प्रमाणपत्र होने तथा वर्ष के शुरू में असावधानीवश प्रावधान हो जाने के कारण हुई।

(A) "Roads in Delhi" - saving of ₹8368.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8484.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/utilization certificates and inadvertent provisioning in the beginning of the year.

(खा) "पुदूचेरी में सड़कें" – ₹5508.00 लाख की बचत (₹6672.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के शुरू में असावधानीवश प्रावधान हो जाने के कारण हुई।

(B) "Roads in Puducherry" - saving of ₹5508.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6672.00 lakhs) was due to inadvertent provisioning in the beginning of the year.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹674067.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क" – ₹400.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹288.79 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधि/जमा खाते से/को अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान हेतु" – ₹666613.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹666612.00 लाख था।

(III) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधि/जमा लेखे से/को अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹7054.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7053.00 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:–

2. The above savings were partly (₹674067.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2017 and March, 2018 - under the following major heads: -

(I) Major Head "3055" - "Research - National Data Base Network" - ₹400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹288.79 lakhs.

(II) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - ₹666613.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹666612.00 lakhs.

(III) Major Head "3602" - "Other Transfer/ Grants to U.T. Governments with Legislature - Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - ₹7054.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7053.00 lakhs.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5054"	Major head "5054"			
सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges	*1000.00*	*554.45*	*-445.55*

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य" के अंतर्गत *₹445.55 लाख* की बचत (*₹1000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) सरकार/अधिकरण/मध्यस्थम द्वारा जारी किए गए डिक्री/अवार्ड के कम आदेश प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "National Highways - Road Works - Works under Roads Wing" - saving of *₹445.55 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 1000.00 lakhs*) was due to receipt of less order for decree/award passed by Government/Tribunal/ Arbitration.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹393681.39 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹252929.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹393681.39 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹252929.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	576500.00		..	..	..
पु.	R.	-576500.00				
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	9467566.00				
पू.	S.	252929.00		9961522.00	9904585.62	-56936.38
पु.	R.	241027.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर सड़क परिवहन पर	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	1500.00	600.00	227.99	-372.01
पु.	R.	-900.00			

(I) ₹576500.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" – "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें तथा पुल) – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(का) "सड़क स्कंध और बीआरडीबी के अधीन सड़क विकास निर्माण कार्य" – ₹75000.00 लाख; और

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹501500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5054" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(क) "स्थाई पुल – राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित निर्माण कार्य" – ₹7858.27 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा राज्य लोक निर्माण विभागों

(I) Provision of ₹576500.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "4552" - "National Highways (Roads and Bridges) - Road Works" - under the following heads: -

(A) "Roads Development works under Roads Wing and BRDB" - ₹75000.00 lakhs; and

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" - ₹501500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Permanent Bridges - Works Financed From National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - saving of ₹7858.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals

द्वारा परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "सड़क निर्माण कार्य" –

(i) "सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य" – ₹33552.15 लाख की बचत (₹1.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹219801.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की धीमी प्रगति तथा संविदाकारों द्वारा बिलों के प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य" – ₹284230.55 लाख की बचत (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2057057.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृत परियोजनाओं की धीमी प्रगति तथा संविदाकारों द्वारा बिलों के प्रस्तुत करने में विलंब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने की वजह से हुई।

(iii) "केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्ग संबंधी स्कीमें" – ₹26393.43 लाख की बचत (₹132667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने, चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा संविदाकारों द्वारा बिल प्रस्तुत करने में विलंब की वजह से हुई।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण" – ₹1816518.00 लाख की बचत (₹3772669.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए निधियों

from the State Governments and non-finalization of projects by State Public Works Departments.

(b) "Road Works" -

(i) "Works under Roads Wing" - saving of ₹33552.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹219801.20 lakhs including token supplementary grant of ₹1.20 lakhs) was due to slow progress of sanctioned projects under the scheme and delayed submission of bills by contractors.

(ii) "National Highways Original Works" - saving of ₹284230.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2057057.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow progress of sanctioned projects and delayed submission of bills by contractors.

(iii) "Other Highways related schemes Financed from Central Road Fund" - saving of ₹26393.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹132667.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow progress of ongoing works and delayed submission of bills by contractors.

(B) "General - Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹1816518.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3772669.00 lakhs) was due to transfer

के अंतर–लेखा अंतरण को अलग–अलग करने के लिए नए खोले गए शीर्ष को निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5055" – "कार्यशाला सुविधाएं – निरीक्षण तथा रख–रखाव केंद्र" – के अंतर्गत ₹1272.01 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विक्रेताओं द्वारा उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने और बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2360718.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹252929.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(का) "सड़क निर्माण कार्य – पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹273573.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹270849.85 लाख था।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वामपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क (राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य सड़कें) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम" – ₹17700.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12349.99 लाख था।

(गा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹1542945.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1542944.75 लाख था।

(II) "सामान्य – आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" – ₹526500.00 लाख।

of funds to the newly opened head for segregating the inter-account transfer of funds for National Highways Authority of India.

(III) Under Major Head "5055" - "Workshop Facilities - Inspection and Maintenance Centre" - saving of ₹1272.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-procurement of equipments and non-submission of bills by vendors.

5. The above savings were partly (₹2360718.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹252929.00 lakhs under Major Head "5054"-under the following heads:-

(I) "National Highways" -

(A) "Road Works - Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹273573.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹270849.85 lakhs.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas" - ₹17700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12349.99 lakhs.

(C) "Transfer to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - ₹1542945.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1542944.75 lakhs.

(II) "General - Transfer to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Transfer to National Investment Fund" - ₹526500.00 lakhs.

6. केंद्रीय सड़क निधि :–

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000–2001 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/– रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनःसंशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

वर्ष 2017–2018 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

6. Central Road Fund:-

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of the Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of Re. 1/- per liter has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	9163,89,56
प्राप्तियां	Receipts	58521,63,01
अदायगियां	Payments	57435,51,18
अंतशेष	Closing Balance	10250,01,39

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि :–

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अपैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund :-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on

जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fees Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The Balance in the Fund is utilized for development of National Highways.

वर्ष 2017–2018 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2017-2018 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	251,55,95
प्राप्तियां	Receipts	8500,00,00
अदायगियां	Payments	8487,38,81
अंतशेष	Closing Balance	264,17,14